अंतर्गत न्यायालय सब जज तृतीय.

T.S.-185/2017

अयोध्या प्रसाद सिंह------- वादी

Vs

काशीनाथ प्रसाद महतो वगैरह----- प्रतिवादी गण

Date - 2023 . उभय पक्ष की वकालतन हाजिरी है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.12.2020 अंतर्गत आदेश 40 नियम 1 व 2 दफा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी संख्या 2 जीउत्त प्रसाद की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 28.01.2021 एवं वादी अयोध्या प्रसाद सिंह की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 20.01.2021 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का आवेदन दिनांक 14.12.2020 पर सुनवाई के दौरान कहना है कि वर्तमान वाद वादग्रस्त भूखंड के मुस्तकिल बंटवारा के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र में प्रतिदावा भी किया है तथा प्रतिवाद पत्र में वर्णित भूखंड का भी बंटवारा कराने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत वाद में प्रार्थी प्रतिवादी को छोड़कर सभी पक्ष एक राय हो गए हैं तथा जबरन संपूर्ण वादग्रस्त संयुक्त पैतृक भूखंड से उसे बेदखल करने का ऐलान कर रहे हैं। संयुक्त पैतृक भूखंड में प्रार्थी को खेती बारी नहीं करने देने तथा उसके ऊपज से वंचित कर देने और जो भी फसल लगे उसे बर्बाद कर देने की धमकी देते हैं। वे प्रार्थी प्रतिवादी का हक हिस्सा हड़प लेना चाहते हैं। आगे विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी प्रतिवादी का दावा प्रथम दृष्टया सत्य है तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण उसके हक हिस्से से बेदखल करने में सफल हो जाते हैं, तो इससे प्रार्थी को बेहद अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त भूखंड के बेहतर प्रबंधन के लिए, प्रार्थी प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 14.12.2020 को स्वीकृत कर किसी प्रापक की नियुक्ति करने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 जीउत प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता का अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.01.2021 पर सुनवाई के दौरान कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 14.12.2020 वास्ते नियुक्त करने प्रापक कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज योग्य है। उनका कहना है कि

प्रस्तुत वाद के वादी तथा अन्य प्रतिवादी नौकरी करते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 के जीविका का एकमात्र साधन खेती है। वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की एराजी का फसल लेते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 जीउत प्रसाद पूरे फसल को एवं बगीचा व फल फूल का उपयोग एवं खेती नहीं कर रहे हैं। आगे विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण मुकदमा को लिंगर करने के उद्देश्य से यह आवेदन दिया है। आगे उनका यह भी कथन है कि कभी भी प्रतिवादी जीउत प्रसाद ने प्रतिवादी संख्या 1 को खेती बारी से वंचित करने, उसमें लगी फसल को बर्बाद करने तथा उसमें कोई हिस्सा नहीं देने की बात सरासर गलत, झूठ तथा बनावटी है। उनका कहना है कि वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार अपना-अपना फसल प्राप्त करते हैं। यदि प्रापक की नियुक्ति होती है तो प्रतिवादी संख्या 2 जीउत्त प्रसाद को ही बनाए जाने की प्रार्थना करते हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का अपने प्रत्युत्तर दिनांक 20.01.2021 पर सुनवाई के दौरान कहना है कि वर्तमान वाद वादी ने बंटवारा के लिए दाखिल किया है, जिसमें न्यायालय द्वारा वादी के आवेदन पर दिनांक 08.05.2018 को वादी का इम्तनाई आवेदन भी मंजूर किया गया है। आगे विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी जीउत सिंह वगैरह ने जबरन पूरे फसल एवं बाग-बगीचा फल -फूल को उपयोग एवं बिक्री कर रहे हैं एवं वादी को उसके हिस्से से वंचित रख रहे हैं। प्रस्तुत वाद में विवादित एराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित एराजी सुरक्षित रहे इसके लिए रिसीवर की नियुक्ति होना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत 2009 (1) PLJR page 663 का हवाला देते हुए यह बताए हैं कि - " Receiver can be appointed in partion suit. " अतः वादी के विद्वान अधिवक्ता विवादित एराजी के निस्वत प्रापक की नियुक्ति करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा जमीमा नंबर 2 में वर्णित पैतृक खतियानी एवं पक्षकारों की संयुक्त इजमाली खतियानी व खरीदगी जायदाद का पक्षकारों के बीच बंटवारा बाई मिट्स एंड बाउंडस कर वादी का हिस्सा 1/4 करने के लिए लाया गया है। वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 का 1/4 हिस्सा बतलाया है। वादी ने मौजा पोखराहा में खाता नंबर 192 एवं 539 पक्षकारों के पिता जागेश्वर महतो को अपने

भाई पाटीदारों से नया सर्वे के पहले ही मुस्तकिल बंटवारा से मिलने की बात कहा है। जागेश्वर महतो ने इजमाली संपत्ति से मौजा- एकारासी व पोखराहा में अपने तथा अपने लड़कों के नाम से अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से बहुत सा संपत्ति खरीदा। प्रतिवादी संख्या 1 पिता के जीवन काल में ही परिवार के मालिक व कर्ता हुए। इन्होंने इजमाली संपत्ति से बहुत सारे एराजीयात अलग-अलग एवं संयुक्त खरीद किए। वाद पत्र के अनुसार वर्ष 1964 से लगायत वर्ष 2005 तक जो भी खरीदगी एराजी है वह पक्षकारों के संयुक्त इजमाली जायदाद है, जिसकी बंटवारा के लिए यह वाद लाया गया है।

दूसरी तरफ प्रतिवादी के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के अवलोकन से प्रतिवादी ने मुकदमा को आंशिक पार्टीशन के आधार पर खारिज योग्य बतलाया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा को इनकंप्लीट तथा वाद को डिफेक्ट ऑफ द पार्टी बतलाया है। जागेश्वर महतो एवं उनके पट्टीदरानों के बीच नया सर्वे के पहले कोई मुस्तकिल बंटवारा नहीं होने की बात कहा गया है। खाता संख्या 192 एवं 539 के सभी रैयतो को वादी ने वर्तमान मुकदमा में फरीक नहीं बनाया है यह भी बात कही है। खाता संख्या 192 व 539 की एराजी को छोड़कर बाकी जो भी एराजी व जायदाद अर्जी में दिया गया है, वह प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के नौकरी व व्यवसाय के आमदनी व बचत से हासिल करने की बात कही गई है , जिसमें वादी का कोई हिस्सा नहीं है।

इस प्रकार वाद पत्र एवं बयान तहरीरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमीना नंबर 2 में दी गई संपत्ति का विवरण जिसमें कुछ खतियानी है एवं कुछ प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की स्व अर्जित संपत्ति बतलाई गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जैसा कि अपने आवेदन में इस तथ्य का जिक्र किया है कि उसे जबरन संपूर्ण वादग्रस्त संयुक्त पैतृक भूखंड से बेदखल करने का एलान तथा उसे खेती बारी नहीं करने देने तथा उसके ऊपज से वंचित कर देने और फसल को बर्बाद कर देने की धमकी देते हैं, तो प्रतिवादी का यह कथन केवल संभावना पर आधारित है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने इस तथ्य से साफ इनकार किया है तथा बतलाया है कि वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से के अनुसार अपना-अपना फसल प्राप्त करते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जीविका का एकमात्र साधन खेती बारी बतलाया है। प्रस्तुत वाद में रिसीवर की नियुक्ति होने पर पक्षकारों के अधिकारों का हनन एवं प्रतिवादी संख्या 2 के जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। प्रस्तुत वाद में विवादित एराजी के निस्वत दिनांक 08.05.2018 के आदेशानुसार

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित किया गया है, जिससे पक्षकारों के विवाद ग्रस्त एराजी को किसी प्रकार के संव्यवहार पर रोक लगाकर पक्षकारों के अधिकार को हितबद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारों उपरांत यह न्यायालय प्रस्तुत वाद में किसी रिसीवर की नियुक्ति करना न्यायोचित नहीं समझता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के आवेदन दिनांक 14.12.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

Sub Judge III